15.5.23	पत्रावली मंहगाई राहत कैम्प एंव प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 ग्राम पंचायत भगवानपुरा मे पेश हुई। वादी स्वंय उपस्थित। तहसीलदार मांडल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी ने दस्तावेजो के आधार पर वादी का नाम उगरसिंह पुत्र श्री भाग सिंह राजपूत का नाम विलोपित कर वादी का सही नाम	जिन्दु सिंह

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 15:42:00 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर ... अहका... हुक्म क... में ज...
	राजस्व रिकॉर्ड मे नरेन्द्र सिंह पुत्र शोभाग सिंह राजपूत किये जाने का निवेदन किया। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी के द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र, आधार कार्ड, आयकर विभाग द्वारा जारी कार्ड, वाहन संचालन प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, एंव स्वयं का शपथपत्र आदि का अध्ययन किया तथा तहसीलदार माण्डल द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट पर मनन किया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः :: आदेश :: वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का भगवानपुरा तहसील माण्डल जिला-भीलवाड़ा के खाता संख्या 1587 मे अंकित आराजी नम्बर 1148 रकबा 0.3514 हैक्टेयर, आराजी नं. 807 रकबा 0.3162 हैक्टेयर, आराजी नं. 817 रकबा 0.2909 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 0.9612 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित नाम उगर सिंह पुत्र शोभाग सिंह राजपूत को विलोपित कर वादी का सही नाम नरेन्द्र सिंह पुत्र शोभाग सिंह राजपूत राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। तहसीलदार माण्डल राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करे। हुकमीचन्द रोहेलानिया उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023	

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 15:42:00 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री

(आ0 20 नियम 6 / जा0दी0)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान

वईजलास श्री हुकमीचन्द रोहलानिया (आर0ए0एस0)

अनवान प्रकरण

श्री नरेन्द्र सिंह S/o श्री शोभाग सिंह राजपूत निवासी-भगवानपुरा त० माण्डल

वादी

बनाम

श्री राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सा० माण्डल तहसील-माण्डल

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 मुकदमा नं0 / वर्ष 61/22 निर्णय दिनांक 15-05-23

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुददई व श्री श्यामलाल रेगर मनलाभिव मुदावला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का भगवानपुरा तहसील माण्डल जिला-भीलवाड़ा के खाता सं. 1587 मे अंकित आराजी नं. 1148 रकबा 0.3514 हैक्टेयर, आराजी नं. 807 रकबा 0.3162 हैक्टेयर, आराजी नं. 817 रकबा 0.2909 हैक्टेयर कुल किता 03 रकबा कुल 0.9612 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित खातेदार का नाम उगरा सिंह पुत्र शोभाग सिंह राजपूत को विलोपित कर वादी का सही नाम [illegible] सिंह पुत्र शोभाग सिंह राजपूत राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित किये जाने [illegible] दिया जाता है। एवतानुसार तहसीलदार माण्डल [illegible] अमल दरामद करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 16:42:00 IST
Reason: SelfAttested

आज तारीख 15-05-23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023